

दैनिक

रोकथोक लेखनी

(R)

खबरें बे-रोकथोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

सरकार पर आरोप लगाने वालों की हो जाएगी बोलती बंद...

ड्रग माफिया की गिरफ्तारी पर बोले फडणवीस

मुंबई, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तार ड्रग डॉन ललित पाटिल शिवसेना-यूबीटी नेता था, जो पहली बार दिसंबर 2020 में पकड़ा गया था लेकिन ड्रग्स के मामले में उससे कभी पूछताछ नहीं की गई। फडणवीस ने मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कहा कि दिसंबर 2020 में उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था, और तुरंत पुणे के ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फडणवीस ने साथ ही चेतावनी भरे लहजे में कहा कि वह जल्द ही इस संबंध में कुछ और खुलासे करेंगे क्योंकि जांच चल रही है, और इसके बाद "सरकार पर आरोप लगाने वाले सभी लोगों की बोलती बंद हो जाएगी."



डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा, "इसके बाद, सरकार ने उनके स्वास्थ्य से संबंधित या उसे मेडिकल बोर्ड के सामने रखने के लिए कोई आवेदन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि आज तक ललित पाटिल से इतने बड़े ड्रग्स भंडाफोड़ मामले में पूछताछ या जांच नहीं की गई।"

चूंकि उस समय पाटिल शिवसेना (यूबीटी) के नासिक शहर का अध्यक्ष था, इसलिए यह सवाल उठता है कि क्या ड्रग डॉन को उनकी राजनीतिक स्थिति के कारण विशेष रातह दी गई थी."


डिप्टी सीएम ने सवाल किया, "क्या अधिकारियों पर इस मामले में उनसे पूछताछ नहीं करने का दबाव था, क्या तत्कालीन मुख्यमंत्री (उद्धव ठाकरे) या तत्कालीन गृह मंत्री किसी भी तरह से इसमें शामिल थे... ये सवाल हैं जो अब उठते हैं।"

मुंबई पुलिस ने मेफेड्रोन (एमडी) दवा बनाने वाली दो अवैध फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करने के बाद पाटिल को गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में है।

उद्धव ठाकरे व शरद पवार के खिलाफ महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी भाजपा

मुंबई, भारतीय जनता पार्टी ने ऐलान किया है कि वह शनिवार से पूरे महाराष्ट्र में हर विधानसभा क्षेत्र में उद्धव ठाकरे व शरद पवार के खिलाफ तेज आंदोलन करेगी।

महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने आज नागपुर में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया है। भाजपा ने आरोप लगाया है कि महा विकास अघाडी के नेता उद्धव और शरद पवार युवाओं के अंदर सरकारी भर्तियों को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं।



भाजपा ने जानकारी दी है कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती के लिए 9 टेंडर निकाले गए थे और इस तरह की भर्ती का फैसला महा विकास अघाडी की सरकार में ही लिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने कहा कि उद्धव ठाकरे यदि आपने निर्णय लिया है तो बताइए कि अपने निर्णय लिया है, आप एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को क्यों बदनाम कर रहे हैं। अपना पाप इन नेताओं के ऊपर क्यों फोड़ रहे हैं।

भाजपा के आरोपों पर विपक्षी दलों की ओर से भी जवाब दिया गया है। विधानसभा के विपक्ष नेता विजय वेडुटीवार ने कहा कि अगर ये फैसला महा विकास अघाडी के शासनकाल में लिया गया था तो सरकार बदलने के बाद इसे रद्द क्यों नहीं किया गया। जह सरकार को पता था कि गलत हो रहा है तो इसे समय पर रद्द क्यों नहीं किया। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी यही बात दोहराई है।



महाराष्ट्र के कसारा घाट में ट्रक दुर्घटना, दो की मौत

ठाणे, महाराष्ट्र में मुंबई और नासिक के बीच कसारा घाट पर एक ट्रक के घाटी में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गई और एक घायल हो गया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना बृहस्पतिवार को तड़के उस वक्त हुई, जब ट्रक को मोड़ते वक्त चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया। उन्होंने बताया कि ट्रक 400 फुट नीचे लुढ़क कर घाटी में जा गिरा, जिससे वाहन में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रक का चालक घायल हो गया। कसारा पुलिस थाने के अधिकारी ने बताया कि घायल को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

गैंगस्टर रवि पुजारी का करीबी हवाई अड्डे से गिरफ्तार रंगदारी के मामले में था वांछित

मुंबई, मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल, पुलिस ने यहां छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जबरन वसूली के मामले में वांछित गैंगस्टर रवि पुजारी के एक करीबी को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

शहर की अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने गुरुवार को विजय पुरुषोत्तम साल्वी उर्फ विजय ताम्बत को गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने बताया कि साल्वी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 385 (जबरन वसूली) और अन्य संबंधित प्रावधानों तथा मकोका के तहत मामला दर्ज किया गया था और पुलिस ने उसके लिए लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।



अधिकारी ने बताया कि साल्वी जब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से एक विमान से हवाई अड्डे पर पहुंचा तो आतुरजन अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और ठाणे शहर पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों को सौंप दिया पुलिस के अनुसार, साल्वी जबरन वसूली के एक मामले के सिलसिले में वांछित था, जिसमें गैंगस्टर रवि पुजारी ने 2017 में रोमा बिल्डर्स के महेंद्र पमनानी से 10 करोड़ रुपये की जबरन वसूली की मांग की थी। उन्होंने बताया कि पुजारी ने पमनानी को कथित

किया तलब

भूमि दुरुपयोग मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने शिवसेना(यूटीबी) विधायक रवींद्र वायकर को सोमवार को तलब किया है। अधिकारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा, बृहन्मुंबई नगर निगम को कथित तौर पर गुमराह करने और 2021 में जनवरी और जुलाई के बीच अवैध रूप से एक लक्जरी होटल के निर्माण के लिए धोखाधड़ी की अनुमति प्राप्त करने के लिए उनके और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। एफआईआर के अनुसार, जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड के किनारे स्थित भूमि खेल और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए आरक्षित थी और सार्वजनिक उपयोग के लिए वाइकर और अन्य को आवंटित की गई थी लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए करोड़ों रुपये कमाने के लिए किया।

सीरियल किलर बनी 22 साल की वैज्ञानिक, 20 दिन में 5 लोगों को मारा, इस केमिकल का किया इस्तेमाल



नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर से एक ऐसी घटना सामने आ रही है जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपने पति और चार ससुराल वालों की हत्या वह भी ऐसी तरकीब से जिसे देख आम आदमी के साथ-साथ पुलिस के भी होश उड़ गए। वैवाहिक जीवन से कथित तौर पर परेशान इस शातिर महिला ने घटनाको अंजाम देने के लिए ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया था जिसका न तो कोई रंग होता है, ना कोई स्वाद और ना ही गंध और इसे कैमिस्ट्री की भाषा में 'जहरों का जहर' कहा जाता है। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ इसका पदार्पाश, आरोपी महिला का नाम संघमित्रा बताया जा रहा है।

संपादकीय / लेख



फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

दूरसंचार कंपनियों का बढ़ेगा बोझ

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में निर्णय दिया है कि दूरसंचार कंपनियों द्वारा जुलाई 1999 के बाद चुकाए गए लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाए, न कि राजस्व व्यय। यह निर्णय दूरसंचार क्षेत्र के लिए चुनौती पेश कर सकता है क्योंकि वह पहले ही वित्तीय तंगी से जूझ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस

निर्णय के माध्यम से दिल्ली उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय के उन फैसलों को उलट दिया है जो दूरसंचार कंपनियों के पक्ष में गए थे। बीते वर्षों के दौरान लाइसेंस शुल्क कैसे चुकाया जाए और उसे किस मद में शामिल किया जाए, इसे लेकर कई तरह के बदलाव सामने आए हैं। इसकी वजह से नीतिगत अनिश्चितता आई है और कारोबार में अनिश्चितता पैदा हुई है। सर्वोच्च न्यायालय के ताजा निर्णय से क्षेत्र के लिए मामला और जटिल हो सकता है। यह क्षेत्र पहले से ही दो कंपनियों के दबदबे के खतरे से जूझ रहा है। पहले की अवधि के लिए आय कर की मांग की संभावना के कारण सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने पुरानी तारीख से कर भुगतान की आशंका उत्पन्न कर दी है क्योंकि लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाएगा, न कि राजस्व व्यय। विश्लेषकों ने संकेत दिया है कि अतीत के बकाये का आकलन करना मुश्किल होगा। उन्होंने संकेत किया कि अगर कर अधिकारी अतीत की किसी कंपनी के लिए मांग करते हैं तो भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया जैसी पुरानी कंपनियों को एकबारगी काफी धनराशि चुकानी पड़ सकती है। लाइसेंस शुल्क की परिभाषा में बदलाव दिक्कतदेह हो सकता है क्योंकि फिलहाल दूरसंचार कंपनियां लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय के खाते में डालकर मुनाफे का आकलन करती हैं।

अगर लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाने लगा तो इसे लाइसेंस की अवधि यानी 20 वर्षों में चुकाना होगा और मुनाफे का आकलन भी उसी के मुताबिक किया जाएगा। इस स्थिति में लाइसेंस के शुरूआती वर्षों में कर का स्तर अधिक होगा। बीते वर्षों के दौरान नीतिगत बदलाव तथा न्यायालयीन निर्णयों से इस विषय की जटिलता को समझा जा सकता है। सन 1999 की नई दूरसंचार नीति में कहा गया कि दूरसंचार कंपनियों को एकमुश्त प्रवेश शुल्क देना होगा और उसके बाद अपने राजस्व के प्रतिशत के रूप में वे लाइसेंस शुल्क चुकाएंगी। सात वर्ष बाद 2006 में एक आकलन आदेश पारित करके कहा गया कि राजस्व व्यय को लाइसेंस अवधि के दौरान चरणबद्ध तरीके से चुकता किया जाएगा।

अगले वर्ष यानी 2007 में लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय के रूप में श्रेणीबद्ध कर दिया गया। ऐसा नई दिल्ली के आयकर आयुक्त के निर्णय के मुताबिक किया गया। छह वर्ष बाद यानी 2013 में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह मुद्दा फिर उठा। न्यायालय के निर्णय में सन 1999 के पहले और 1999 के बाद के लाइसेंस शुल्क में भेद किया गया। कहा गया कि 31 जुलाई, 1999 तक चुकाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क को पूंजीगत व्यय माना जाए और 1 अगस्त, 1999 के बाद राजस्व साझेदारी के आधार पर चुकाए जाने वाले लाइसेंस शुल्क को राजस्व व्यय माना जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दलील दी कि लाइसेंस शुल्क व्यय को पूंजीगत व्यय नहीं माना जा सकता है क्योंकि इसे समायोजित सकल राजस्व के मुताबिक राजस्व के रूप में चुकाया जाता है।

+91 99877 75650

editor@rokhoklehaninews.com

Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कुर्ला पूर्व क्षेत्र के विकास में आ रही बाधओको पर अधिकारियों के साथ बैठक...

मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) कुर्ला विधान सभा की प्रति लंबित पड़ी हुई नागरिक समस्याओ को सुलझाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक किया ! कलेक्टर लैंड संदर्भ जमीन हस्तांतरण करने के संबंध में वसूला जाने वाला १० ते १५ प्रतिशत अधिमूल्य शुल्क कम कर के ५ प्रतिशत करने की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है !

कलेक्टर लैंड गृहनिर्माण संस्था के सभासद हस्तांतरण प्रक्रिया सुलभ करने की व्यावस्था व सभासद हस्तांतरण जिल्हाधिकारी स्तरा पर करने की मांग किया गया है ! जिसको लेकर बहुत जल्द जिल्हाधिकारी कार्यालय की ओर से सभासद हस्तांतरण करने की विशेष मोहीम लिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री आशवासित किया. नेहरू नगर, टिळक नगर सहित विभिन्न म्हाडा इमारतों



की बस्तियों में दस से पंधरा वर्षों का समय गुजरने के बाद भी पुनर्विकसि की हुई इमारतों को अभी तक अद्याप ओकूपेंट प्रमाणपत्र (OC) नहीं है ! परिणाम स्वरूप उपरोक्त गृहनिर्माण संस्थेओ को अभय योजना लाकर ओकूपेंट प्रमाणपत्र (OC) प्रक्रिया सुलभ करने की मांग किया है ! इस संदर्भ में मुख्यमंत्री इस तरह की

प्रधान सचिव गृहनिर्माण को जांच कर इस विषय पर कैसे निर्णय लिया जाये इसकी जानकारी मांगी है !

म्हाडा वासहात पोलीस कर्मियों की बस्तियों में १९ इमारतों की पुनर्विकास म्हाडा की ओर से इमारतों में रहने वाले पोलीस कर्मियों के परिवार जनों के हक्का का घरे कैसे मिलेगा इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने मांग किया है ! वहीं उप रोखा पोलीस कर्मियों की मांगो को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने पोलीस आयुक्त व पोलीस गृहनिर्माण विभाग को म्हाडा सहित एकत्र बैठक कर प्रस्ताव प्रस्तुत किया ! इस बैठक में गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, प्रधान सचिव गृहनिर्माण गृहनिर्माण वल्सा नायर , पोलीस आयुक्त विवेक फनसलकर, म्हाडा उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल व इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित थे !

दशहरे से एक दिन पहले रावण को मारने का दबाव...

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड का सत्ताधारी दल पर आरोप



मुंबई : मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड ने आरोप लगाया कि रामलीला मंडलों को दशहरे से एक दिन पहले ही रावण को मारने का दबाव डाला रहा है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र रामलीला मंडल और साहित्य कला मंडल ने आजाद मैदान में 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच रामलीला आयोजित करने के लिए आजाद मैदान पुलिस और अन्य विभागों से विधिवत अनुमति ली है, फिर भी आप राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसमें हस्तक्षेप करके और दशहरे की पूर्व संध्या पर रावण को मारने का दबाव डालकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। बता दें कि आजाद मैदान में 24 अक्टूबर को शिवसेना शिंदे गुट की दशहरे रैली आयोजित की जा रही है। वर्षा गायकवाड ने मुख्यमंत्री एकनाथ

शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे पत्र में कहा है कि हर साल दशहरा पर रावण के वध के साथ ही रामलीला का समापन होता है। पिछले 48 वर्षों से रामलीला की यही परंपरा है। हालांकि बताया गया है कि सरकार पर इस परंपरा को तोड़कर दशहरे से एक दिन पहले रावण को मारने या इस रामलीला को दूसरी जगह शिफ्ट करने का दबाव है। उन्होंने कहा कि रामलीला लोगों की आस्था का विषय है। आजाद मैदान में रामलीला की यह परंपरा पिछले 48 वर्षों से अटूट है। अब आप केवल विशुद्ध राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इसमें हस्तक्षेप करके लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि यह भारतीय संस्कृति और लोगों की आस्था का अपमान है और हम इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए दशहरा मेला एवं रामलीला को एक दिन खत्म करना या रामलीला को अन्यत्र स्थानांतरित करना उचित नहीं है। वर्षा गायकवाड ने मांग की कि रामलीला को उसी स्थान पर और दशहरे के दिन ही समाप्त करने के लिए संबंधितों को आदेश दिया जाना चाहिए।

महाराष्ट्र राज्य में वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान रद्द करने की मांग ने पकड़ा जोर



मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) बताते हैं कि जैसे जैसे लोकसभा, विधानसभा चुनावों की सरगमी बढ़ती जा रही है। ठीक उसी जगह पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जनहित के राजनीतिक मुद्दों को उछाल कर जनता की हितोषी बनने की होड़ मची है। इसी कड़ी में जनता के समर्थन में मनसे के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी कूद पड़ी मैदान में ऑनलाइन चालान के विरोध में। कहा जाता है की देशभर के विभिन्न राज्यों में उ. प्र, कर्नाटका में कोरोना लॉक डाउन के समय से शुरू ऑनलाइन चालान वाहन चालकों के कई लाखों रुपए दंड की शकल में ऑनलाइन चालान थोपे जा रहे हैं।

जिसको लेकर सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ऑनलाइन चलानो को रद्द करने की मांग मनसे प्रदेश

महासचिव माऊली थोरवे ने की थी। वही अब उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को लेकर मुखर हो चुकी है। ईशान्य मुंबई कांग्रेस पार्टी के मुंबई स्वयं रोजगार सेल के महासचिव वा जिला उपाध्यक्ष डॉ. सत्तार खान से जब इस संबंध में बड़ी संख्या में मुंबईकरों वाहन चालकों पर थोपे गये चालान के बारे में आनगिनत शिकायत कर चुके है ! जिसको गंभीरता दिखाते हुए मुंबई कांग्रेस चेयरमैन वर्षा गायकवाड के नेतृत्व में मुंबईकरों की आवाज उठाने की कसर कसी है ! वहीं दूसरी ओर सत्तार खान के अनुसार इस संबंध में कहा की मेरे पास भी कुछ नागरिकों की ऑनलाइन चालान का फाइन उ.प्र, कर्नाटक की तर्ज पर रद्द करने की मांग प्रशासनिक महकमे तक उठाने की बात बहुत से शिकायत कर्ताओ ने किया था।

भीमशक्ती सम्मान पुरस्कार 2023 आंबेडकरी आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान




मुंबई (फिरोज सिद्दीकी) ६७ वे धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर भीमशक्ती सम्मान पुरस्कार सहित आंबेडकरी आंदोलन मुहिम में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं का सम्मान राज्य के सबसे बड़े आंबेडकरी नेता के तौर पर बहुचर्चित भीम शक्ति संगठन के संस्थापक व पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडोरे के हाथों ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले स्मारक पिंपरी पुणे में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

गौरतलब हो की भीमशक्ती विद्यार्थी आघाडी पिंपरी चिंचवड शहर व पुणे जिल्हा की ओर से सुरज गायकवाड व गौतमजी गायकवाड

, विजय हिंगे सचिव भीम शक्ती संघटना पुणे शहर /पश्चिम महाराष्ट्र युवको ने कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पिंपरी चिंचवड व पुणे शहरा के फुले, शाहू, आंबेडकरी आंदोलन में भाग लेने वाले शैक्षणिक, उद्योग क्षेत्र, वकील, डॉक्टर, धार्मिक, सामाजिक व निरनिराळ्या क्षेत्रात काम करने वाले अनेक गणमन्य "भीमशक्ती सम्मान पुरस्कार २०२३" देकर सम्मान किया गया। उपरोक्त अवसर पर आंबेडकरी आंदोलन में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं, भीमशक्तीचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

अरब सागर में आ सकता है चक्रवात



मुंबई : भारत मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में अरब सागर में 'तेज' चक्रवात आ सकता है। इस चक्रवात में ६० किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। यही नहीं मौसम विभाग ने मुंबई सहित आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश भी होने का अनुमान जताया है, इसलिए उन्होंने मुंबईकरों से सावधान रहने की अपील की है। यही नहीं इससे बारिश की वजह से मुंबई में होनेवाले विश्वकप मैचों पर भी खतरा भी मंडराने लगा है। बता दें कि २१-२४ अक्टूबर और २-७ नवंबर को मुंबई में मैचों का आयोजन किया गया है। मौसम विशेषज्ञों कि मानें तो अरब सागर के दक्षिण-पूर्व में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो अगले दो-तीन दिनों में 'तेज' चक्रवात में बदल सकता है।

सत्रह बांग्लादेशी गिरफ्तार... भारतीय पासपोर्ट लगा है विदेशी वीजा

मुंबई : बोरीवली पुलिस ने अवैध तरीके से मुंबई में निवास कर रहे सत्रह बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन बांग्लादेशियों के पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जिसमें पासपोर्ट समेत, आधारकार्ड, वोटर कार्ड जैसे दूसरे दस्तावेज शामिल हैं। मुख्य आरोपी के पास से पुलिस ने उसका पासपोर्ट भी बरामद किया है। जिसका इस्तेमाल कर वह लोगों को बताता था कि उसका भी पासपोर्ट तैयार कर उस दो पासपोर्ट पर वीजा लगा है।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मामले में गिरफ्तार किया गया आरोपी सलमान अयूब खान बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार करवाकर लेकर आता था। इसके बाद मुंबई लाकर अलग अलग जगह ठहराने की व्यवस्था करता था। इसके बाद एक एक कर फर्जी दस्तावेज तैयार करता



था और फिर उसका इस्तेमाल कर पासपोर्ट बनवाकर उसे विदेश भेजता था। भारतीय पासपोर्ट पर आरोपी विदेश चले जाते थे। यह सिर्फ इसलिए कि भ्रष्ट भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से उनपर कोई संदेह नहीं करता था। बहरहाल मामले की अधिक जांच पुलिस द्वारा की जा रही है।

बोरीवली आये थे बांग्लादेशी

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पहले तीन बांग्लादेशियों को बोरीवली से गिरफ्तार किया था। जिसमें सलमान अयूब खान, सुमन मोमिन सरदार और ओमर मुल्ला शामिल हैं। इनसे पूछताछ शुरू की गई और एक



भाजपा के खिलाफ इंडिया एक उम्मीदवार चुनाव में उतारेगा। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे के लिए तीनों पार्टियां एक साथ बैठेंगी। सभी अपनी पार्टियों की ताकत बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके कारण थोड़ा बहुत विवाद हो सकता है, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर किसी

प्रकार की समस्या नहीं होगी, ऐसा भी चव्हाण ने कहा। भाजपा सरकार को ईडी मामले, सीबीआई मामले या धन के अनुचित आवंटन को खत्म करना है तो भाजपा को सत्ता से बाहर करना होगा। इसकी शुरुआत लोकसभा से होगी, ऐसा पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा

कि अगर लोकसभा में भाजपा की हार होती है तो विधानसभा में कोई चुनौती नहीं रहेगी। अगर लोकसभा में इंडिया को हार स्वीकार करनी पड़ी, तो विधानसभा चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि, पुनः लोकतंत्र नहीं रहेगा, इसका मुझे यकीन है, ऐसा भी पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा।

डूंग मामले में गिरफ्तार आरोपी ललित पाटील ने कहा कि मैं भागा नहीं था, बल्कि मुझे भगाया गया था। इस बारे में पूछे जाने पर पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, 'तेलगी मामले में कई बड़े नेताओं के नाम सामने आए थे। बाद में उस मामले को दबा दिया गया। उसी प्रकार सत्ता में बैठी सरकार मामले को दबा देगी, क्योंकि इसमें कुछ मंत्री भी शामिल बताए जा रहे हैं।

कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करने का आदेश करेंगे रद्द... MVA पर आरोप लगा डिप्टी सीएम फडणवीस ने किया एलान



मुंबई : महाराष्ट्र में अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा। राजनीतिक गलियारों में लगातार हलचल मची हुई है। इस बीच, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को एलान किया कि वह अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए जारी सरकारी आदेश को रद्द कर देंगे। साथ ही उन्होंने इस आदेश को लाने के लिए पिछली सरकारों पर आरोप मढ़ा। वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार ने सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि इस कदम से वंचित समुदायों के लोग अवसरों से वंचित हो जाएंगे। फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'अनुबंध के आधार पर पहली भर्ती 2003 में की गई थी, जब कांग्रेस-एनसीपी सरकार सत्ता में थी। हम ऐसा नहीं चाहते। महा विकास अघाड़ी सरकार ने पाप किया है और इसके लिए हमें दोषी ठहराया जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से इस बारे

में चर्चा की है। हमने ठेके पर भर्ती पर सरकारी प्रस्ताव (जीआर) को रद्द करने का फैसला किया है।' उन्होंने कहा, 'चैनल में शामिल नौ एजेंसियों के माध्यम से अनुबंध पर कर्मचारियों को रखने का निर्णय उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने लिया था। शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर राज्य में डूंग माफिया को बचाने का आरोप लगाया। वह महाराष्ट्र में मादक पदार्थों के बढ़ते खतरे के विरोध में नासिक में एक मार्च में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फडणवीस विपक्ष के बारे में सब कुछ जानते हैं। वह डूंग माफिया के बारे में कैसे नहीं जानता? वह डूंग माफिया और उन लोगों को बचा रहे हैं, जो हफ्ता ले रहे हैं। 300 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन जब्ती मामले में ललित पाटील को मुख्य आरोपी बताने पर राउत ने कहा कि वास्तव में डूंग माफियाओं के दोस्त विधानसभा में बैठे हैं। यह महाराष्ट्र की दुर्दशा है कि हमारे पास ऐसा गृह मंत्री है।

युवाओं की नाराजगी की वजह से ठेका भर्ती का जीआर रद्द: पटोले

मुंबई : ठेका भर्ती का जीआर रद्द करने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महायुति सरकार में पुलिस समेत अहम विभागों में संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लगातार आवाज उठा रही है। इस फैसले से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं में काफी गुस्सा था। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ मजबूती से खड़ा रहते हुए भाजपा सरकार को बेनकाब करने का काम किया। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार को यह एहसास हो गया कि युवाओं की नाराजगी की वजह से चुनाव में



उन्हें भारी हार का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि अब शर्मिंदगी का एहसास होने के बाद बीजेपी सरकार को संविदा भर्ती के जीआर को रद्द करने का फैसला करना पड़ा है। लेकिन ऐसा करते हुए भी देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री अजित पवार को ही बेनकाब कर

दिया, क्योंकि ये दोना नेता आघाड़ी सरकार में काम कर चुके हैं। पटोले ने इस संबंध में भाजपा सरकार और देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधते हुए कहा कि उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनुबंध के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती का फैसला तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे, अशोक चव्हाण और पृथ्वीराज चव्हाण ने लिया था। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो यह यह भर्ती सरकार द्वारा की जा रही थी और बाद में इन कर्मचारियों की सेवा को बरकरार रखा गया। हालांकि वर्तमान सरकार में नौकरी भर्ती एक निजी कंपनी द्वारा की जा रही है।

साढ़े तीन सालों में ५७ हजार करोड़ रुपए का झोल

एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 100 से अधिक छात्र अयोग्य घोषित

मुंबई : देश की केंद्र सरकार आम जनता से उसके खून-पसीने की कमाई को जीएसटी के रूप में वसूलती है। साथ ही केंद्र सरकार आए दिन जीएसटी वसूलने को लेकर अपनी पीठ थपथपाती है। दूसरी ओर जीएसटी चोरी के मामले भी सामने आते हैं। अब सवाल यहां ये बनता है कि सरकार जब जीएसटी सिस्टम लाई तो कोई झोल न हो सके, इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की। बता दें कि सरकार के गैर जिम्मेदार अधिकारियों की वजह से पिछले साढ़े तीन सालों में ५७ हजार करोड़ रुपए का झोल हुआ है।

गौरतलब है कि जीएसटी चोरी का पता लगाने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इटैलीजेंस बड़ा अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत विभाग ने बड़े पैमाने पर फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के मामलों का पता लगाया है। डीजीजीआई ने बीते साढ़े तीन वर्षों में ५७,००० करोड़ रुपए जीएसटी चोरी का पता लगाया है और इस मामले में ५०० लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इटैलीजेंस जीएसटी चोरी को रोकने के लिए बीते तीन वर्षों से स्पेशल ड्राइव चला रही और अप्रैल २०२० से सितंबर २०२३ तक चलाए

गए। इस विशेष अभियान में ६,००० फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों का पता लगा है, जिसमें ५७,००० करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। मौजूदा वित्त वर्ष २०२३-२४ में १४,००० करोड़ रुपए के कुल १,०४० फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों का पता लगा है, जिसमें अब तक ११ लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है।

जून २०२३ में डीजीजीआई ने देशभर में मास्टरमाइंडें सिंडीकेट्स की पहचान कर उन्हें पकड़ने पर जोर दिया था। एडवांस टेक्निकल टूल्स के जरिए डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कर जीएसटी चोरी करने वालों की गिरफ्तारी की गई है। ये टैक्स सिंडिकेट



अक्सर भोले-भाले व्यक्तियों का उपयोग करते हैं और उन्हें नौकरी, कमीशन, बैंक लोन का लालच देकर उनसे उनका केवाईसी डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, जिसके जरिए बिना उनकी जानकारी और सहमति के गैर फर्जी, शेल फर्म या कंपनियां खोल लिया जाता है। जीएसटी चोरी को रोकने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इटैलीजेंस ने देशभर में अपने खुफिया नेटवर्क को विकसित करती है। इसके बाद जीएसटी चोरी को रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से नए क्षेत्रों में खुफिया जानकारी जुटाती है।

केंद्र सरकार ने दावा किया था कि जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवाकर लागू होने के बाद लोगों को कई तरह के टैक्स से मुक्ति मिलेगी और सामान सस्ते होंगे। सच तो ये है कि जीएसटी उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया।

सालों बीत जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को जीएसटी अभी तक समझ में नहीं आया है और बाजार में उसके साथ जमकर ठगी होती है। शॉपिंग मॉल हो या फिर किराने की दुकान हर जगह बिलों में हर सामान के लिए अलग-अलग जीएसटी देखकर लोग चकरा जाते हैं। आलम यह है कि कुछ लोग जब महीने के शुरू में पूरे माह का घरेलू सामान लेने पहुंचते तो उन्हें कई-कई मीटर का बिल थमा दिया जाता है। काफी परीक्षण के बाद भी ज्यादातर लोगों को जीएसटी का फंडा समझ में नहीं आता और ठगा सा मुंह लेकर घर पहुंचते हैं। कारोबार आधार वित्तीय वर्ष में आपके कारोबार की सीमा २० लाख रुपए (कुछ मामलों में रु. ४० लाख) से अधिक होने पर जीएसटी एकत्र करना और भुगतान करना होता है। कुछ विशेष श्रेणी राज्यों के लिए सीमा १० लाख है।



मुंबई : राज्य में एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किए गए अंतिम काउंसलिंग राउंड में एडमिशन पानेवाले १०० से अधिक छात्रों के प्रवेश को नेशनल मेडिकल कमीशन (राष्ट्रीय चिकित्सा आयुर्विज्ञान आयोग) ने अयोग्य घोषित कर दिया है। संस्थानों ने छात्रों को प्रवेश देते समय कई मानदंडों का उल्लंघन करते हुए संस्थान स्तर पर काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की थी। इसलिए आयोग ने अब इन संस्थानों को नोटिस भेजा है। ऐसे में एमबीबीएस काउंसलिंग राउंड संकट में फंस गया है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने काउंसलिंग राउंड में दाखिले को अवैध घोषित कर रद्द करने का निर्देश दिया है। इससे इन छात्रों का एक साल

बर्बाद होने की आशंका है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने निर्देश दिया था कि केंद्रीय स्तर पर सभी दाखिले ऑनलाइन किए जाएं। कॉलेज अथवा संस्थागत स्तर पर की गई काउंसलिंग को मंजूरी नहीं दी गई। लेकिन राज्य सरकार ने प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में रिक्त एमबीबीएस प्रवेश के लिए रिक्त इन सीटों को काउंसलिंग और अंतिम राउंड में कॉलेज स्तर पर भरने की अनुमति दी थी। दूसरी ओर नेशनल मेडिकल कमीशन ने इस राउंड को करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके चलते प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में काउंसलिंग राउंड में हुए दाखिलों को अयोग्य करार देते हुए रद्द करने का निर्देश काउंसिल ने दिया है।

छात्रों की अमानत राशि.. विधानमंडल में जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए सवाल

मुंबई : राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में एडमिशन के समय छात्रों से अमानत राशि जमा कराई जाती है, लेकिन कई छात्र अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी पैसे वापस नहीं लेते हैं। इसलिए यह राशि कॉलेजों के पास ही पड़ी रहती है। ऐसे में इस अव्ययित निधि के आवंटन की नीति निर्धारित की गई है। इसके अनुसार, यदि कोई छात्र शिक्षा पूरी होने के बाद दो साल के भीतर अमानत राशि वापस नहीं लेता है तो विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को यह राशि खर्च करने की अनुमति दी गई है। इस निधि का उपयोग पुस्तकालय की किताबें, प्रयोगशाला अद्यतन, शिक्षा, गैर शिक्षा कर्मचारी प्रशिक्षण जैसे कार्यों के लिए किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में छात्रों के हाथ मलने के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचेगा। उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालयों, कॉलेजों को छात्र की शिक्षा पूरी होने के बाद अमानत राशि वापस करनी होती है, लेकिन इसके लिए आवेदन करने जैसी तकनीकी प्रक्रिया छात्रों को खुद ही करनी पड़ती है। इन झंझटों से बचने के लिए कई छात्र अमानत राशि



वापस ही नहीं लेते हैं। इसलिए यह राशि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के पास वैसे ही पड़ी रहती है। ऐसे में सूचना के अधिकार से यह जानकारी सामने आई है कि कई छात्रों की अमानत राशि के लाखों रुपए कई वर्षों से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में पड़े हुए हैं। इसी के तहत विधानमंडल में जन प्रतिनिधियों द्वारा सवाल उठाए गए हैं। इसी पृष्ठभूमि में अमानत राशि के आवंटन की नीति निर्धारित की गई। इतना ही नहीं उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है।

छात्र शिक्षा पूरी होने के बाद प्रमाणपत्रों की प्रतियां लेने के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय आते हैं। उसी समय छात्रों को पैसे वापस कर देने चाहिए। पास होने के बाद छात्र दो साल के भीतर अमानत राशि नहीं निकालते

हैं अथवा इसकी मांग नहीं करते हैं, तो यह राशि कॉलेज, विश्वविद्यालय में ही जमा कर दी जाएगी। दो साल पहले बची अमानत राशि का उपयोग कॉलेज खर्च के लिए कर सकते हैं। सभी कुलपतियों, महाविद्यालयों के प्राचार्यों को वित्तीय प्राधिकार की सीमा के अंतर्गत अमानत राशि खर्च करने का अधिकार होगा। हालांकि, सरकार के पैछसले में यह भी कहा गया है कि वित्तीय सीमा से अधिक खर्च की मंजूरी का अधिकार संबंधित विभागीय संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को होगा। यह स्पष्ट किया गया है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना करके संबंधित पुस्तकें और सामग्री खरीदना, नए प्रयोगशाला उपकरण और साहित्य खरीदना, बहु विषयक शिक्षा प्रणाली लागू करना, संगीत, खेल से संबंधित करना, संगीत, खेल से संबंधित सामानों की खरीदारी करना, शिक्षा, गैर शिक्षक कर्मचारियों का प्रशिक्षण, वित्तीय साक्षरता से संबंधित पूरक पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए अमानत राशि का इस्तेमाल किया जाएगा।

दहिसर में मनपा बना रही है स्काईवॉक बनने के पहले ही स्थानीय लोग करने लगे विरोध मनपा पर लगाया 30 करोड़ फिजूल खर्च का आरोप

मुंबई: मनपा प्रशासन ने दहिसर पश्चिम में स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया है। इस जगह पर पहले भी स्काईवॉक बना हुआ था। मनपा अब दोबारा 30 करोड़ रुपया खर्च कर इसी जगह पर स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया है। स्काईवॉक गरदुल्लों का अड्डा बना रहता है इसी के चलते पिछली बार भी स्थानीय लोगों के विरोध और जर्जर होने पर उसे ढहाया गया था। मनपा अब फिर 7 साल बाद स्काईवॉक बनाने का निर्णय लिया है। काग्रेस की स्थानीय पूर्व नगरसेविका शीतल म्हात्रे ने मनपा के इस निर्णय का अभी से विरोध करने की चेतावनी दी है और मनपा के खिलाफ मोर्चा निकालने की चेतावनी दी और लोगों का पैसा ठेकेदारों की जीव भरने का आरोप लगाया। बता दे की मनपा ने दहिसर पश्चिम में लंबे इंतजार के बाद नया स्काई वॉक बनाने का निर्णय लिया है। यह स्काई वॉक एमएमआरडीए ने वर्ष 2015 में मनपा को सौंपा था, लेकिन 2016 में इसका एक पार्ट गिर गया था जिसके बाद इसे आवागमन के लिए बंद कर दिया गया



था। मनपा अब 7 साल बाद इसे दोबारा बनाने का निर्णय लिया है। मनपा कहना है कि इसके बनने से प्रतिदिन 30 से 40 हजार लोगों को रोड नहीं पार करना पड़ेगा। जबकि स्थानीय पूर्व नगरसेविका शीतल म्हात्रे ने आरोप लगाया कि इस स्काईवॉक का कोई भी उपयोग नहीं करता सिर्फ जुआरियो और गरदुल्लों का अड्डा बनाता है जिससे लोगों को और परेशानी बढ़ेगी। जिसके चलते उन्होंने आमनागरिकों के टैक्स का पैसा ठेकेदारों की जेब भरने का उपयोग बताया। उन्होंने कहा कि स्काईवॉक के बदले मनपा अस्पताल आदि बनाकर लोगों को सुविधा देती तो लोगों की परेशानियां दूर होती। स्काईवॉक पर मनपा 30 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने की उम्मीद जताई है। यह 850 मीटर लंबा स्काई

वॉक होगा। ठेकेदार को इसे 15 महीने में बना कर मनपा को सौंपना होगा। मनपा अधिकारी ने बताया कि एमएमआरडीए ने जो स्काईवॉक बनाया था उसी जगह पर यह बनाया जाएगा। इससे दहिसर स्टेशन पर उतरने वालों को सीधा स्काईवॉक से आगे जाने का मौका मिलेगा, उन्हें रोड पार करने की आवश्यकता नहीं होगी। अधिकारी ने इस बात को माना कि पहले इस स्काईवॉक का उस तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। स्थानीय लोगों का कहना है कि बंद होने के बाद भी इस स्काईवॉक का असामाजिक तत्व इस्तेमाल करते हैं। बैरिकेड लगाने के बाद भी कई लोग वहां से जाते हैं इस पर मनपा और पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। बता दें कि वर्ष 2010 में एमएमआरडीए ने मुंबई में लोगों को आने-जाने में आसानी हो, गाड़ियों के बीच से लोगों को सड़क पार न करना पड़े इसके लिए बड़े पैमाने पर स्काईवॉक बनाए। लेकिन लोग इसका नाममात्र भी उपयोग नहीं कर रहे हैं।